भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 244

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पान मेथी को जीआई टैग

244. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान के नागौर जिले में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली पान मेथी को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उगाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को शीघ्र ही जीआई टैग देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री को कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी), केयूएमएस, बीकानेर रोड, नागौर, राजस्थान से भौगोलिक संकेतक "नागौरी पान मेथी" के लिए एक आवेदन दिनांक 13.08.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसे 1347 संख्या पर दर्ज किया गया है। औपचारिकता जांच रिपोर्ट दिनांक 22.8.2024 को आवेदकों को जारी की गई है, जिसमें आवेदक को आवेदन में निहित कमियों का दूर करने के लिए लिखा गया है, हालांकि, आवेदक की अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) और (घ): किसी उत्पाद को जीआई का दर्जा देना स्वैच्छिक प्रमाणीकरण नहीं है, बल्कि यह माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के दिशानिर्देश में होता है। केवल ऐसे उत्पाद, जिनके आवेदन उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, उन्हें ही भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया जाता है।

******